न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S

राजस्व वाद संख्या 79/24 (प्रा.पत्र)

GCMS No: 2024/254

उनवान

श्री रामलाल पुत्र तुलसीराम डांगी निवासी नारायणपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 09.09.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नारायणपुरा पटवार हलका वडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थी की खातेदारी आराजी न. 1654, 1655 किता 2 रकबा 0.5300 हैं. भूमि स्थित हैं, उक्त भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी से दर्ज होकर प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के दक्षिण दिशा में बिलानाम भूमि स्थित हैं, जिसके आराजी न. 1659 हैं, उसके दक्षिण दिशा में मुख्य मार्ग स्थित है, तथा उक्त बिलानाम भूमि के उत्तर दिशा में प्रार्थी की भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने हेतु उक्त बिलानाम भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर–दक्षिण 30 फीट चौडा रास्ता स्थित हैं जिससे होकर सदीप से प्रार्थी अपनी भूमि में आता जाता हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता, रास्ते के रूप में अमल दरामद नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 1654, 1655 में आने–जाने हल, बेलगाडी, ट्रेक्टर, मवेशी आदि ले जाने के लिये विपक्षी की आराजी में से 30 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम नारायणपुरा की जमाबंदी संवत् 2078–81 के अनुसार आराजी न. 1654, 1655 रकबा 0.5300 हैं. किस्म क्रमशः गै.मु.आ.चा. एवं बारानी द्वि. खातेदार श्री रामलाल पिता तुलसीराम जाति डांगी सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। प्रार्थी श्री रामलाल पिता तुलसीराम डांगी निवासी नारायणपुरा भीण्डर द्वारा अपनी भूमि आराजी न. 1654, 1655 में पहुंच मार्ग हेतु आराजी न. 1659 रकबा 0.1600 किस्म बिलानाम से रास्ता चाहा हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी न. 1654, 1655 में पहुंच मार्ग हेतु आराजी न. 1659 रकबा 0.1600 में से 0.009[illegible] [illegible]ता प्रस्तावित किया है साथ ही बताया कि उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है व इसके अलावा [illegible] अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी सं. 1654, 1655 [illegible] हेतु रास्ता बिलानाम आराजी सं. 1659 में से कुल रकबा 90 वर्ग मीटर (10 मी.X 9 मी.) [illegible]स्ता दिया जाना प्रस्तावित किया। जिसकी डी.एल.सी. दर 6138355/– है. होना बताया।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:48:48 IST
Reason: SelfAttested

किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया कि प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का वडगाव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी 1654, 1655 किता 2 रकबा 0.5300 है. भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम आराजी न. 1659 में रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी न. 16 1655 किता 2 रकबा 0.5300 है. भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम आराजी न. 1659 में से वर्ग मीटर (10 मी.x 9 मी.) भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए नही होना बताया है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता 90 वर्ग मीटर (10 मी.x 9 मी.) होकर डीएलसी 6138355/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 55250/- रूपये होना तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता होना बताया है। अत: प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम भूमि है। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने विपक्षी की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता है रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधि का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का वडगाव तहसील भीण्डर उदयपुर राज. की आराजी न. 1654, 1655 किता 2 रकबा 0.5300 है. भूमि में आने जा बिलानाम आराजी न. 1659 में से 90 वर्ग मीटर (10 मी.x 9 मी.) का रास्ता प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 6138355/- अक्षरे इकसठ लाख अडतीस हजार पचपन रूपयें प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 55250/- का दुगुना 110500/- रूपयें एक लाख दस हजार पांच सौ रूपयें राशि प्रार्थी से विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात भूमि का राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गेर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा. केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर ... को।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:48:48 IST
Reason: SelfAttested